न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 09 / 2022

उनवान

1. कैलाश चन्द पुत्र बालूराम
2 मुकेश कुमार पुत्र बालूराम
3 हरफूल पुत्र बालूराम
समस्त व्यस्क, जाति जाट , निवासी ग्राम खोरालाडखानी, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

— प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

1 आंची देवी पत्नि प्रहलाद
2 मनभरी देवी पत्नि ओमप्रकाश
3 सरोज देवी पत्नि रारसिंह
समस्त व्यस्क जाति जाट ,निवासी ग्राम ग्राम खोरालाडखानी,, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा —251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक 7.4.2025

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हम आपके उपखण्ड में भूमी धारण कर रहे है तथा खातेदार अभिधारी है और मैं हम हमारी जोत में पहुँच के प्रयोजन के लिए खातेदार अप्रार्थी सं0—1 लगायत 3 के खसरा नं0—3253 रकबा 0.43,है० वाकै ग्राम हनुतपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है इसलिये हमने राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं0—3) की धारा—251 ए की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है। प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नं0—3254 / 1, 3252, 3251 में आने जाने के लिए वर्तमान में खसरा नं0—3253 का उपयोग उपभोग वर्तमान में रास्ता के रूप में आमजन करता चला आ रइहा है जिसमें आगे पूर्व दिशा में ख0नं0 3254 / 1 के लगता प्रार्थीगण की जोत अवथित है तथा रास्ता व आवागमन में अप्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 3253 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि जो प्रार्थीगण की भूमि के लगती हुयी है जो खसरा नम्बर 3252 से सटाउकर 16 फुट उत्तर दक्षिण व लगभग 220 फुट पूर्व पश्चिम प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 3254 / 1 तक जाने हेतु नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसे नक्शा में गुलाबी स्याही से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया गया है, प्रार्थीगण वर्तमान प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. सरकारी दर अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है । अन्त में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगणकी ओर से टी एम वर्मा एडवाकेट उपस्थित आये तथा प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्रांक / रीडर / 2024 / 393 दिनांक 19.2.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के संलग्न गिरदवार हल्का खोरालाडखानी व पटवारी खोरालाडखानी ने रिपोर्ट प्रेषित कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3253 में से रास्ता लेना चाहता है, लेकिन प्रार्थीगण की स्वंय की खातेदारी के खसरे लगवा होने के

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

कारण प्रकरण में 251 क का प्रस्ताव तैयार कर रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं होना बताया गया है।

प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बिना मौके के तैयार की गई है । तहसीलदार व पटवारी गिरदावार हल्का ने भी मौका निरीक्षण नहीं किया है, तथा पक्षकारान को बिना सूचित किये हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है,इसलिए मौका रिपोर्ट निरस्त की जाकर प्रकरण मे पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए जाहिर किया कि तहसीलदार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट नियमानुसार प्रस्तावि तैयार कर मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3253 में कोई रास्ता नहीं है इसी भूमि के लगती हुई प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3254/1 व 3252 है। प्रार्थीगण ख0नं0 3254/1 में जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 3253 में से रास्ता चाहा है जो गलत है जबकि प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं0 3252 में से रास्ता ले सकता है तथा खसरा नम्बर 3251 भी रास्ते के रूप में काम आ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दोनो खसरा नं0 खुद के होने के बावजूद व मौके पर रास्ता होने के बावजूद अप्रार्थीगण की भूमि में से बदनियती पूर्ण तरीके से रास्ता लेकन अप्रार्थीगण की भूमि को खराव करना चाहता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया । प्रकरण वास्ते बहस हेतु नियत किया जाकर प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को जाहिर करते हुए पुनः मौका रिर्पोट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपनी जोत खसरा नम्बर 3254/1 में जाने हेतु खसरा नम्बर 3253 में रास्ता प्रस्तावित किया है जबकि खसरा नम्बर 3253 के लगता प्रार्थीगण की स्वंय की भूमि खसरा नम्बर 3252 है । तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट में भी जाहिर किया गया है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3253 में से रास्ता लेना चाहता है लेकिन प्रार्थीगण की स्वंय की खातेदारी के खसरे लगवा होने के कारण प्रकरण में 251 क का प्रस्ताव तैयार कर रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार एवं प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 3254/1 में पहुँच हेतु प्रार्थीगण स्वय की भूमि खसरा नम्बर 3252 लगती हुई होने के क़ारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7.4.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(संजीव कुमार खेदड़)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)